

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 483/2022

वाद पत्र अं० धारा 53 आर.टी.ए.

- 1 काला सिंह पुत्र अजायब सिंह
- 2 अमरजीत कौर पत्नी काला सिंह
- 3 जगसीर सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह

जाति समस्त जटसिख निवासी बुंगलावाली
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

-वादीगण

बनाम्

- 1 जसपाल सिंह पुत्र अजायब सिंह
- 2 सुखविन्द्र कौर पुत्री अजायब सिंह
- 3 कुलविन्द्रकौर उर्फ बलविन्द्रकौर पुत्री अजायबसिंह
- 4 अवतार सिंह पुत्र भूर सिंह
- 5 तेज कौर पत्नी करनैल सिंह
- 6 गुरतेज सिंह पुत्र करनैल सिंह
- 7 पाल कौर पुत्री करनैल सिंह
- 8 परमजीत कौर पुत्री करनैल सिंह
- 9 बलविन्द्र कौर पुत्री करनेल सिंह
10. रानी कौर पुत्री करनेल सिंह
11. बलविन्द्र सिंह पुत्र गुरदत सिंह
12. सुखविन्द्र सिंह पुत्र गुरदत सिंह
- 13 चरणजीत कोर पुत्री गुदत सिंह
- 14 जगजीत सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह
- 15 गुरदेव कौर पत्नी जगदेव सिंह
- 16 गुरमेल सिंह पुत्र जगदेव सिंह
17. सर्वजीत कौर पुत्री जगदेव सिंह
18. अवतार सिंह पुत्र जरनेल सिंह
- 19 धूकर सिंह पुत्र जरनैल सिंह
20. तोता सिंह पुत्र जरनेल सिंह
- 21 विचित्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह
22. महेन्द्र कौर पुत्री जरनैल सिंह
- 23 मनप्रीत सिंह पुत्र टेक सिंह
- 24 रमनदीप सिंह पुत्र टेक सिंह
25. परमजीतकौर पुत्री वीरसिंह उर्फ प्रीतमसिंह
26. सुखजीतकौर पुत्री वीरसिंह उर्फ प्रीतमसिंह
27. टेकसिंह पुत्र सरजीतकौर पत्नी करनेल सिंह
28. बलदेवसिंह पुत्र सरजीतकौर पत्नी करनेलसिंह
29. जगदेवसिंह पुत्र सरजीतकौर पत्नी करनेलसिंह
- 30 गुलाबसिंह पुत्र सरजीतकौर पत्नी करनैलसिंह
- 31 सरजीतसिंह (फौत) पुत्र श्यामकौर पत्नी हुजुरसिंह

जाति समस्त जटसिख

निवासी बुंगलावाली

तहसील संगरिया

जिला हनुमानगढ (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

31/1 जसकरण सिंह पुत्र } पुत्र सरजीत सिंह पुत्र श्यामकौर पत्नी हजूर सिंह
 31/2 बलकरण सिंह पुत्र } जाति जटसिख निवासी वार्ड न 01 खाजूवाला
 31/3 कर्मजीत कौर पुत्री } तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर (राज.)

32. जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्यामकौर पत्नी हजूर सिंह

33 सरजीत कौर पुत्री श्यामकौर पत्नी हजूर सिंह

34 चिन्त कौर पुत्री श्यामकौर पत्नी हजूर सिंह

35 नक्षत्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह

36 बलकरण सिंह पुत्र हरनेक सिंह

37 बलजीत कौर पत्नी भूर सिंह

38 लाभ सिंह पुत्र भूर सिंह

39. सुखदेव सिंह पुत्र दयाल सिंह

40 सर्वजीत सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह

41 शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सादुलशहर

42 शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा खैरुवाला

43 तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

जाति समस्त जटसिख

निवासी बंगलावाली

तहसील संगरिया

जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री प्रवीण बैरड़ -वकील वादीगण
2. एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक :- 9⁰⁵/₂₀₂₄

वादीगण कालासिंह वगैरा ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 43 के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत खाता तकसीम के तहत दिनांक 09.09.2022 को इस न्यायालय में पेश किया कि यादी एवं प्रतिवादीगण का पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अन्तर्गत यही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से चक 29 ए.एम.पी. के खाता स 97/76 में संयुक्त खाता में कुल 7.382 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण के पिता अजायब सिंह के नाम से चक न. 29 ए एम.पी. के खाता स. 97/76 में 1266/7382 हिस्सा व वादी स. 1 के नाम से 565/7382 हिस्सा व वादी स 2 के नाम से 2528/7382 एवं वादी स 3 के नाम से 566/7382 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड है। वादी के पिता का देहान्त हो चुका है। वादी स: 1 के भाई/बहिने प्रतिवादी स. 1 ता 3 ने अपना हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा उन्होंने मौखिक रूप से वादी सं. 1 के पक्ष परित्याग कर दिया है। वादीगण व प्रतिवादीगण का आपस में घरू विभाजन काफी समय पूर्व हो चुका है। मुताबिक घरू विभाजन के अनुसार शान्तिपूर्वक तरीके से काश्त कर रहे हैं, कब्जाकाश्त बाबत कोई वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आपस में कोई विवाद नहीं है। इसलिए वादीगण उक्त कृषि भूमि का खाता तकसीम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण के कब्जाकाश्त की भूमि का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है :-

(क) वादी स. 1 काला सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी बंगलावाली की कब्जाकाश्त की भूमि :-

चक 29 ए.एम.पी. सं. 97/76

प.नं.

मु.नं.

कि.नं.

91/177

44

6/0.190 है.

92/177

43

1 ता 3/0.253 है.प्र. 8 ता 10/0.759 है.

सहायक फ्लैक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 संगरिया

11/0.063 है.13/0.127 कुल कृषि भूमि 1.897 है.

(ख) वादिया स. 2 अमरजीत कौर जाति जटसिख निवासी बुंगलावाली की कब्जाकाश्त की भूमि

प.नं.
92/176

मु.नं.
38

कि.नं.

16/1/0.215, 16/2/0.038 है.

17 ता 24/2.024 25/1/0.215

25/2/0.038 है कुल कृषि भूमि 2.530 है.

(ग) वादी स. 3 जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी बुंगलावाली की कब्जाकाश्त की भूमि :-

चक 29 ए.एम.पी. सं. 97/76

प.नं.
92/177

मु.नं.
43

कि.नं.

11/0.190 है. 12/0.253, 13/0.126

कुल कृषि भूमि 0.569 है.

वादीगण की उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खाता में होने के कारण वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ सीव बट, रकमराज, पानी की बारी, व कृषि ऋण आदि को लेकर भारी परेशानी व असुविधा हो रही है। इसलिए वादीगण ने कई दफा प्रतिवादीगण से उसके हक व हिस्सा तथा कब्जाकाश्त की भूमि का खाता याद पत्र की चरण स. ३ (क) (ख) (ग) के अनुसार खाता अलग कायम करवाकर अलग से रकमराज का निर्धारण करवाने के लिए निवेदन किया लेकिन पहले तो प्रतिवादीगण वादीगण को बाद में करवाने का कहकर टालमटोल करते रहे किन्तु आज से दो दिन पूर्व वादीगण की बात मानने से स्पष्टतया इंकार हो गये बस यही वाद कारण हैं।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 7 ता 11,13,17 ता 22, 25 ता 27, 30, 31/1, 31/2, 31/3 33,34,37,38,41व42 की तलबी साधारण डाक से नहीं हो सकी है इसलिए इनकी तलबी रजि. डाक से करवाने हेतु वादी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उक्त प्रतिवादीगण की तलबी नहीं होने के कारण इनकी तलबी जरिये दैनिक सामाचार पत्र में साया करवाने का प्रार्थना पत्र पेश हुआ, प्रार्थना स्वीकार किया जाकर शामिल मिसल किया गया। उक्त प्रतिवादीगण को न्यायालय में बार-बार आवाजे लगाई गई इसके बावजूद हाजिर नहीं आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अभिभाषक वादी ने प्रा0पत्र अ0आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया कि प्रतिवादी सं. 31 फौत हो चुका है, जो स्वीकार किया गया। संशोधित वाद शीर्षक पेश हुआ। प्रतिवादीगण सं. 1ता6,12,14,15,16,23,24,27,28,29,32,35,36,39,40 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हो चुके हैं, इसके बावजूद प्रतिवादीगण न्यायालय में हाजिर नहीं आये। इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 43 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई। वादपत्र के समर्थन में वादी द्वारा साक्ष्य के तौर पर चक 29 ए.एम.पी. के खाता सं. 97/76 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 की प्रति पेश की। प्रार्थना पत्र पेश तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से कब्जा काश्त रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ने अपने पत्रांक/भू.अ./2024/923 दिनांक 21.03.2024 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई जो शामिल पत्रावली है।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

बहस एकपक्षीय सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीगण सं. 1ता 42 को न्यायालय में हाजिर नहीं आये है इसलिए इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में कब्जा काशत बाबत अन्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए वकील वादी ने तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त कब्जा काशत रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने का कथन किया।

बहस एकपक्षीय पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चक 29 ए.एम.पी. के खाता सं. 97/76 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 एवं तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की रिपोर्ट के अवलोकन से यह साबित कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण के पिता के पिता अजायब सिंह के नाम दर्ज है तथा वादीगण के पिता का देहान्त हो चुका है। वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं है एवं उक्त खाता अपवादित भी है। वादीगण ने अन्य सहकाशतकारान के साथ अच्छी मन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादी काशत करता चला आ रहा है। वादी का कब्जाकाशत बाबत अन्य किसी भी सहकाशतकारान के साथ कोई विवाद नहीं है। वर्तमान में भी कब्जा काशत बाबत कोई विवाद सामने नहीं आया है। प्रतिवादी सं. 1ता 60 बावजूद सूचना न्यायालय में हाजिर नहीं आये है। प्रकरण में अन्य कोई विरोध सामने नहीं आया है। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक खातेदार काशतकार घोषित कर खाता अलग से कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—: क्रियात्मक आदेश :-

अतः उक्त विवेचना के आधार पर वादीगण का वादपत्र तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है :-चक नं. 29 ए.एम.पी. के खाता सं. 97/76 में कुल रकबा 7.382 है. में मौका पर कब्जा काशत :-

1. अमरजीत कौर पत्नी कालासिंह जाति जटसिख साकिन बुगलावाली प.नं. 92/176 मु.नं. 38 कि.नं. 16/1/0.215 है. 16/2/0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.नं. 17 ता 24/0.253 है.प्र., कि.नं. 25/1/0.215 है. 25/2/0.038 है. गै. मु. रास्ता कुल रकबा 2.530 है. मय गै.मु.।
2. कालासिंह पुत्र अजायबसिंह जाति जटसिख साकिन बुगलावाली प.नं. 92/177 मु.नं. 44 कि.नं. 15/0.188 है. पूर्वी पासा, प.नं. 92/177 मु.नं. 43 कि.नं. 1 ता 3/0.253 है.प्र., 8 ता 10/0.253 है.प्र. 11/0.063 है. पश्चिमी पासा, 13/0.127 है. पश्चिमी पासा कुल रकबा 1.896 है.।
3. जगसीर सिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन बुगलावाली प.नं. 92/177 मु.नं. 43 कि.नं. 11/0.190 है. पूर्वी पासा, 12/0.253 है. 13/0.126 है. पूर्वी पासा कुल रकबा 0.569 है.।
4. जगजीत सिंह, सर्वजीत सिंह पि0 नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन बुगलावाली प.नं. 91/176 मु.नं. 37 कि.नं. 25/0.253 है. प.नं. 91/177 मु.नं. 44 कि.नं. 5,6/0.253 है.प्र., 14/2/0.133 है. 15/0.065 है. पश्चिमी पासा, 16 ता 18/0.253 है.प्र. प.नं. 92/177 मु.नं. 43 कि.नं. 19,20/0.253 है.प्र. कुल रकबा 2.222 है.।

सहायक जिलाधिकारी एवं
बराहपण्ड अधिकारी
संगरिया

5. बलदेव सिंह पुत्र करनेल सिंह जाति जटसिख साकिन बुगलावाली प.नं. 91/177 मु.नं. 44 कि.नं. 12/1/0.165 है।

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत निल 1000 खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 9.5.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार मीना)
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 483/2022

वाद पत्र अं० धारा 53 आर.टी.ए.

1 काला सिंह पुत्र अजायब सिंह
अमरजीत कौर पत्नी काला सिंह
जगसीर सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह

जाति समस्त जटसिख निवासी बंगलावाली
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

-वादीगण

बनाम्

- 1 जसपाल सिंह पुत्र अजायब सिंह
- 2 सुखविन्द्र कौर पुत्री अजायब सिंह
3. कुलविन्द्रकौर उर्फ बलविन्द्रकौर पुत्री अजायबसिंह
- 4 अवतार सिंह पुत्र भूर सिंह
- 5 तेज कौर पत्नी करनैल सिंह
- 6 गुरतेज सिंह पुत्र करनैल सिंह
- 7 पाल कौर पुत्री करनैल सिंह
- 8 परमजीत कौर पुत्री करनैल सिंह
- 9 बलविन्द्र कौर पुत्री करनेल सिंह
10. रानी कौर पुत्री करनेल सिंह
11. बलविन्द्र सिंह पुत्र गुरदत सिंह
12. सुखविन्द्र सिंह पुत्र गुरदत सिंह
- 13 चरणजीत कोर पुत्री गुदत सिंह
- 14 जगजीत सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह
- 15 गुरदेव कौर पत्नी जगदेव सिंह
- 16 गुरमेल सिंह पुत्र जगदेव सिंह
17. सर्वजीत कौर पुत्री जगदेव सिंह
18. अवतार सिंह पुत्र जरनेल सिंह
- 19 धूकर सिंह पुत्र जरनैल सिंह
20. तोता सिंह पुत्र जरनेल सिंह
- 21 विचित्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह
22. महेन्द्र कौर पुत्री जरनैल सिंह
- 23 मनप्रीत सिंह पुत्र टेक सिंह
- 24 रमनदीप सिंह पुत्र टेक सिंह
25. परमजीतकौर पुत्री वीरसिंह उर्फ प्रीतमसिंह
26. सुखजीतकौर पुत्री वीरसिंह उर्फ प्रीतमसिंह
27. टेकसिंह पुत्र सरजीतकौर पत्नी करनेल सिंह
28. बलदेवसिंह पुत्र सरजीतकौर पत्नी करनेलसिंह
29. जगदेवसिंह पुत्र सरजीतकौर पत्नी करनेलसिंह
- 30 गुलाबसिंह पुत्र सरजीतकौर पत्नी करनैलसिंह
- 31 सरजीतसिंह (फौत) पुत्र श्यामकौर पत्नी हुजुरसिंह

जाति समस्त जटसिख

निवासी बंगलावाली

तहसील संगरिया

जिला हनुमानगढ (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

31/1 जसकरण सिंह पुत्र } पुत्र सरजीत सिंह पुत्र श्यामकौर पत्नी हजूर सिंह
 31/2 बलकरण सिंह पुत्र } जाति जटसिख निवासी वार्ड न 01 खाजूवाला
 31/3 कर्मजीत कौर पुत्री } तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर (राज.)

32. जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्यामकौर पत्नी हजूर सिंह

33 सरजीत कौर पुत्री श्यामकौर पत्नी हजूर सिंह

34 चिन्त कौर पुत्री श्यामकौर पत्नी हजूर सिंह

35 नक्षत्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह

36 बलकरण सिंह पुत्र हरनेक सिंह

37 बलजीत कौर पत्नी भूर सिंह

38 साम सिंह पुत्र भूर सिंह

39. सुखदेव सिंह पुत्र दयाल सिंह

40 सर्वजीत सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह

41 शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सादुलशहर

42 शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा खैरुवाला

43 तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज)

जाति समस्त जटसिख

निवासी बुंगलावाली

तहसील संगरिया

जिला हनुमानगढ़ (राज.)

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं0 धारा 53 आर.टी.ए.

दिनांक :-

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री प्रवीण बैरड़ अभिभाषक वादीगण मिन जामिन मुदई व एकपक्षीय प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :-

चक नं. 29 ए.एम.पी. के खाता सं. 97/76 में कुल रकबा 7.382 है. में मौका पर कब्जा काशत :-

1. अमरजीत कौर पत्नी कालासिंह जाति जटसिख साकिन बुगलावाली प.नं. 92/176 मु. नं. 38 कि.नं. 16/1/0.215 है. 16/2/0.038 है. गै.मु. रास्ता, कि.नं. 17 ता 24/0.253 है.प्र., कि.नं. 25/1/0.215 है. 25/2/0.038 है. गै.मु. रास्ता कुल रकबा 2.530 है. मय गै.मु.।
2. कालासिंह पुत्र अजायबसिंह जाति जटसिख साकिन बुगलावाली प.नं. 91/177 मु.नं. 44 कि.नं. 15/0.188 है. पूर्वी पासा, प.नं. 92/177 मु.नं. 43 कि.नं. 1 ता 3/0.253 है.प्र., 8 ता 10/0.253 है.प्र. 11/0.063 है. पश्चिमी पासा, 13/0.127 है. पश्चिमी पासा कुल रकबा 1.896 है.।
3. जगसीर सिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन बुगलावाली प.नं. 92/177 मु.नं. 43 कि.नं. 11/0.190 है. पूर्वी पासा, 12/0.253 है. 13/0.126 है. पूर्वी पासा कुल रकबा 0.569 है.।
4. जगजीत सिंह, सर्वजीत सिंह पि0 नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन बुगलावाली प.नं. 91/176 मु.नं. 37 कि.नं. 25/0.253 है. प.नं. 91/177 मु.नं. 44 कि.नं. 5.6/0.253 है.प्र., 14/2/0.133 है. 15/0.065 है. पश्चिमी पासा, 16 ता 18/0.253 है.प्र. प.नं. 92/177 मु.नं. 43 कि.नं. 19,20/0.253 है.प्र. कुल रकबा 2.222 है.।
5. बलदेव सिंह पुत्र करनेल सिंह जाति जटसिख साकिन बुगलावाली प.नं. 91/177 मु. नं. 44 कि.नं. 12/1/0.165 है.।

सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 संगरिया

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो ताहसीलदार (राजस्व) सगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन है तो रहन यथावत रखते हुए अमल दरामद किया जावे।

निज...~~X~~...निल...~~X~~...मुब्लिक...~~X~~...निल...~~X~~...बाबत...~~X~~...निल...~~X~~...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...~~X~~...को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 9-5-10~~14~~ को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक क्लर्क
उपखण्ड-अधिकांशिकारिया
सगरिया

